स्टेटहैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/51 दिनांक : 02.01.2016

कार्यालय आदेश

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जिलों में निजी अस्पतालों के चयन एवं चयनित अस्पतालों की सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन एतदद्वारा किया जाता है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
3. सरकार द्वारा अधिकृत इंश्योरेन्स कम्पनी के जिले का प्रतिनिधि

समिति के मुख्य कार्य निम्नानुसार होगें:–

- निजी अस्पतालों के भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी में प्राप्त आवेदनों का आवेदन प्राप्ति की तिथि के सात दिवस में उक्त समिति आवश्यक रूप से निरीक्षण करेगी। समिति यह भी ध्यान में रखेगी कि प्राप्त आवेदनों में से जिन अस्पतालों में अधिक सुविधायें है तथा जो अधिक पैकेज लेते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जावे तथा प्रत्येक ब्लाक में कम से कम एक सेकण्ड्री डिजीज पैकेज से सम्बन्धित अस्पताल एवं जिला मुख्यालय पर कम से कम एक टर्शरी डिजीज पैकेज से सम्बन्धित अस्पताल को अनुबधिंत किया जावे एवं अधिक से अधिक अस्पतालों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत अनुबधिंत होने के लिये प्रेरित किया जाये।
- यदि समिति क्षेत्र विशेष में यदि यह महसूस करती है कि क्षेत्र में स्थित **कोई भी निजी अस्पताल** RFP में वर्णित Empanelment की शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, तो RFP की शर्तों में छूट प्रदान की जा सकती है, छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुशंसा **सी.ई.ओ., स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी को प्रेषित** करेगी।
- समिति योजनान्तर्गत पूर्व से सम्बद्ध निजी अस्पतालों का भी नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि अस्पतालों द्वारा योजना के अन्तर्गत सही रूप से सेवायें प्रदान की जा रही है। जो अस्पताल योजना का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अस्पतालों को योजना से हटाने के लिये भी यह कमेटी अनुशंसा करेगी।
- न्यू इण्डिया एश्योरेन्श कम्पनी लिमिटेड यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन का अन्तिम निस्तारण 10 दिवस के भीतर हो जाना चाहिये एवं प्रत्येक अस्पताल को अनुबन्धित करने के आदेश की प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी प्रेषित की जावे।
- उक्त समिति निरीक्षण कर आवश्यक रूप से अपनी रिपोर्ट तीन दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं एक प्रति उप महाप्रबन्धक न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी को प्रस्तुत करेगें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेटहैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ 1008( )/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/51 दिनांक : 02.01.2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान,।
5. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
6. उप महाप्रबन्धक, न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. को प्रेषित कर लेख है कि **उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।**
7. डॉ अवतार सिंह दुआ, साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. सलाहकार आई.एस.सी., एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक, एनएचएम, राजस्थान।
12. सेन्ट्रलसर्वर रूम –ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
13. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेटहैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी